बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 19.05.14

संख्या– 1/स्थाप–5003/2005......386............../भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–**
   (1) यह नियमावली **"बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2014"** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
2. उक्त नियमावली 2008 का नियम 6 का उप नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
   "(1) निम्नवर्गीय लिपिक में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।"
3. उक्त नियमावली, 2009 में निम्नलिखित नये नियम 13क एवं 13ख क्रमशः नियम 13 के बाद अंतरस्थापित किये जाएंगे:–
   13क इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार के प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।
   13ख "संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए उनके द्वारा बितायी गयी अवधि का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गये दिशा–निदेशों के अनुसार अधिमान (वेटेज), दिया जायेगा।

19.5.14
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/स्थाप–5003/2005 – 386 पटना–15, दिनांक– 19.05.14
प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.5.14
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/स्थाप–5003/2005 – 386 पटना–15, दिनांक– 19.05.14
प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

19.5.14
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Manoj Sir-p106

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 19.05.14

संख्या– 1/स्थाप–5003/2005–386/अधिसूचना संख्या ..... दिनांक– 19.05.14 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Government of Bihar
Labour Resource Department
NOTIFICATION

Patna-15,dt.- 19.05.14

N0. 1/Esst-5003/2005–386...../In exercise of Power conferred under proviso to Article-309 of the constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following amendment Rules to amend the Bihar Employment Clerical Cadre Rules, 2008.

1. Short title, extent and commencement.-

1. The Rules may be called as the Bihar Employment Clerical Cadre (Amendment)Rules-2014
2. It shall extend to whole of the State of Bihar
3. It shall come into force with immediate effect.

2. Sub rule (1) of Rule 6 of the said Rules 2008 shall be substituted by the following:-

"(1) For appointment in the Lower Divisional Clerk, the minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent with knowledge of computer operation and computer typing."

3. The following new Rule 13A and 13B shall be inserted respectively after Rule 13 of the said Rules, 2008:-

13A Subjects for which provisions could not be made in these rules, the provisions of relevant codes/rules//resolution/instructions of the state government shall be applicable to them.

13B "For those employees working on contract basis, the period spent by them shall be given due weightage in accordance with the guidelines given by the General Administration Department."

19.5.14

(Deo Nandan Yadav)
Joint Secereatary
Labour Resource Department
Bihar, Patna.

ज्ञापांक–1/स्थाप–5003/2005 –386 पटना–15, दिनांक– 19.05.14

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

" अधिसूचना "

पटना-15, दिनांक-

संख्या-1/स्था0-5003/2005...../ भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष के लिपिकों की भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** - (1) यह नियमावली " बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2008 " कही जा सकेगी ।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएँ** ।- इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

   (क) " नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि ;

   (ख) " संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग ;

   (ग) " कोटि" से अभिप्रेत है, नियत-3 में विनिर्दिष्ट कोटि ;

   (घ) " सीधी भर्त्ती से नियुक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति ;

   (ड) " संलग्न कार्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे कार्यालय ;

   (च) " नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार ;

   (छ) " परिवीक्षाधीन" से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षाधीन रूप से नियुक्त व्यक्ति ।

   (ज) " सामान्य वरीयता सूची" से अभिप्रेत है, नियत तिथि की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी जाने वाली विनियमवली के अनुसार समय-समय पर पुनरीक्षित, संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना करेगा ; तथा

   (झ) " आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।

3. **संवर्ग** । - यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा । इस संवर्ग में निम्नांकित कोटियों के पद होगें- निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक ।

4. **सेवा का अधिकृत बल** ।- सेवा के अधिकृत बल का आवश्यतानुसार समय-समय पर पुनर्निधारण श्रम संसाधन विभाग से परामर्श कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग / वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा ।

   परन्तु यह कि नियत तिथि को लिपिकों के स्वीकृत बल का 50 प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिक का कोटि का और 50 प्रतिशत पद उच्चवर्गीय लिपिक एवं अन्य उच्चतर कोटि के पद में समझा जायेगा । अतिरिक्त विषम संख्या वाले पद निम्नवर्गीय लिपिक को कोटि में समझे जायेंगे । लेकिन उच्चवर्गीय लिपिक का कार्यरत बल यदि 50 प्रतिशत से अधिक हो तो कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिक की सेवानिवृत्ति या प्रोन्नति होने तक ऐसा पद उच्चवर्गीय लिपिक का समझा जायेगा । उच्चवर्गीय लिपिक का पद बल जब तक 50 प्रतिशत से कम नहीं जो जाता है तब तक उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जायेगी ।

5. आरक्षण ।- सेवा में नियुक्ति / प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।

6. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में भर्त्ती । - (1) निम्नवर्गीय लिपिक में भर्त्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अर्हता प्रवेशिकोतीर्ण अथवा समकक्ष एवं हिन्दी टंकण का ज्ञान के साथ साथ कम्प्यूटर संचालन एवं टंकक ज्ञान की योग्यता अनिवार्य होगी ।

(2) प्रत्येक वर्ष की 01ली अप्रील के आधार पर रिक्तियों की गणना करने के बाद 30 अप्रील तक आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के लिये अधियाचना आयोग को भेज दी जायेगी । आयु की अर्हता 01 अगस्त के अनुसार होगी।

आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसा विभाग में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगी ।

(3) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के अधिकृत बल का पचासी प्रतिशत (85%) पद सीधी भर्त्ती से आयोग द्वारा इस उद्धेश्य से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा ।

परन्तु यह कि सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले पदों का अधिक से अधिक 10 (दस) प्रतिशत पद ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों के बीच से, विहित प्रक्रियानुसार एवं इस कोटि में नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ धारित करने पर, अनुकम्पा के आधार पर, नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी ।

परन्तु यह कि यदि सीधी नियुक्ति एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एक ही समय में की गई हो तो सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति से वरीय होगें ।

(4) नियत तिथि को निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत और अनुकम्पा के आधाार पर निम्नवर्गीय लिपिक के रूप मे नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस कोटि में स्वत: समाहित समझे जायेंगे ।

परन्तु यह कि वैसे निम्नवर्गीय लिपिक जो इस सेवा में स्वत: शामिल समझे गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्ष से कम हो, को नियत तिथि से दो वर्ष के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर में, यथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, योग्यता हासिल कर लेनी होगी । उक्त अवधि के अन्दर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर आगे उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नही होगी ।

(5) अधिकृत बल का शेष 15 (पन्द्रह) प्रतिशत पद क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित स्थापना में न्यूनतम 05 वर्षो से कार्यरत समूह "घ" के, विहित योग्यताएँ/अर्हताएँ धारित करने वाले कर्मियों से, आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे ।

(6) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिक्तियों की सूचना दिये जाने के आधार पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी ।

(7) उप नियम (3) एवं (5) में संदर्भित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अर्हता, नियत, पाठ्यक्रम आदि वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विनियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जाय ।

7. परिवीक्षा अवधि ।- निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में कोई भी नियुक्ति, चाहे वह सीधी भर्त्ती द्वारा हो या सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर, प्रारम्भ में परिवीक्षा पर होगी । परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी । अवधि विस्तार की स्वीकृति के साथ पायी गई कमियों को भी ईंगित किया जायेगा ताकि संबंधित कर्मी को उसमें सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

परन्तु यह कि परिवीक्षा के विस्तार की अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी । विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

8. प्रशिक्षण । -परिवीक्षा अवधि में, निम्नवर्गीय लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो विनियमावली द्वारा विहित अथवा सरकार के द्वारा विनिश्चित कर जायेगी।

9. सम्पुष्टि ।

(1) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने पर और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा टंकण एवं कम्प्यूटर योग्यता की जाँच में उत्तीर्ण होने एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के सुसंगत नियमों में निर्धारित विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकेगा ।

(2) उप नियम (1) में उल्लेखित विभागीय लेखा परीक्षा का संचालन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा । टंकण एवं कम्प्यूटर में योग्यता जाँच के लिए प्रक्रिया आदि का निर्धारण राजस्व पर्षद के परामर्श से विनियमावली के तहत किया जायेगा ।

(3) सम्पुष्ट होने पर परिवीक्षा पर वितायी गई अवधि की गणना कुल सेवा काल में की जा सकेगी ।

10. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में वरीयता का अवधारण ।

(1) निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) स्तर पर एक वरीयता सूची होगी ।

(2) नियम-6 के उप नियम (3) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची के अनुसार होगी ।

(3) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी ।

(4) किसी वर्ष में नियम-6(3) के अधीन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त सभी कर्मी अथवा नियम-6(5) के अधीन नियुक्त सभी कर्मी उस वर्ष में अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मी से वरीय होंगे ।

(5) नियम-6 (5) के अधीन नियुक्त कर्मियो की आपसी वरीयता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के योग्यता सूची के अनुसार होगी ।

(6) किसी भर्त्ती वर्ष में नियम-6 (5) के अधीन नियुक्त सभी कर्मी उसी भर्त्ती वर्ष में नियम-6 (3) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मियों से कनीय होंगे ।

11. प्रोन्नति ।

इस संवर्ग में प्रोन्नति के सोपान निम्न प्रकार होंगे :-

(1) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के उन लिपिकों में से उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा जो सम्पुष्ट हो तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरी करते हो एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार प्रोन्नति हेतु निर्धारित विभागीय लेखा परीक्षा दोनों पत्रों में अंतिम रूप से उत्तीर्ण हो

(2) उच्चवर्गीय लिपिक कोटि में प्रोन्नति इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

(3) नियत तिथि को उच्च वर्गीय लिपिक के वेतनमान में कार्यरत सभी लिपिक इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की कोटि के स्वत: सदस्य हो जायेंगे ।

परन्तु यह कि वैसे लिपिक जो उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में स्वत: आमेलित किये गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्ष से कम हो, को नियत तिथि से दो वर्षो के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर में योग्यता हासिल कर लेनी होगी । उक्त अवधि के अन्दर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर आगे कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी ।

(4) उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत उन कर्मियों में से प्रधान लिपिक के पद पर एवं प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत उन कर्मियों में से कार्यालय अधीक्षक के पद पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरा करते हो ।

(5) प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक के पदों पर प्रोन्नति इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी ।

12. **सामान्य वरीयता सूची** ।- इस सेवा की सामान्य वरीयता सूची विनियमावली में निर्धारित सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन),बिहार द्वारा तैयार एवं संधारित की जायेगी ।

13. **निर्वचन** ।- जहॉ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहॉ वह विषय श्रम संसाधन विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

14. **विनियम बनाने की शक्ति** ।- इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यतानुसार श्रम संसाधन विभाग के परामर्श से निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार नियमावली बना सकेगा ।

15. **प्रकीर्ण** ।- किसी अन्य नियमावली में बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग के संदर्भ में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा ।

16. **निरसन** ।- इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व इस संवर्ग से संबंधित प्रासंगिक नियम/संकल्प/परिपत्र/अनुदेश आदि इस नियामवली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझें जायेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

श्रम संसाधान विभाग

ज्ञाप संख्या-1/स्था0-5003/2005- 01 पटना-15, दिनांक- 01/01/2009

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा / विधान परिषद् / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

31/12/08

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

श्रम संसाधान विभाग

31/12/08